32

## कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 13.09.2017

प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 13.09.2017 को सांय 4.00 बजे एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक में M/s Daya Nand Contractor, VPO Kharainti (Rohtak) द्वारा अनुबंध संख्या 01/2012–13 के अन्तर्गत संवेदक फर्म को आवंटित कार्य "Construction of cross regulator at RD 109.000 of IGMN (Sahwa Lift Head)" के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया:–

1. श्री लोकेश तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री अशोक पाठक, संयुक्त शासन सचिव–IV, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एम. आर. डूडी, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर।
4. श्री के. एल. जाखड़, मुख्य अभियन्ता जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ़।

विभाग की ओर से अधिशाषी अभियन्ता, जल ससांधन खण्ड, रावतसर उपस्थित हुये तथा संवेदक फर्म की ओर से श्री दयानन्द स्वयं उपस्थित हुए।

संवेदक ने कमेटी को अवगत कराया कि जिस आधार पर मेरी फर्म को शेष कार्य पर 1% शास्ती आरोपित की गई है वह उचित नही है क्योकि डाइवर्सन बनाने का कार्य मेरे अनुबन्ध मे शामिल नही था। यह कार्य अन्य फर्म द्वारा पूर्व में किया जा चुका था, इसलिये मेरी फर्म पर लगाई गयी 1% शास्ती निराधार एवं गलत है, जिसको हटायी जावें।

संवेदक के उक्त कथन को मुख्य अभियन्ता (उत्तर) हनुमानगढ एवं अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, रावतसर ने यह स्वीकार किया एवं अवगत कराया कि डाईवर्सन का कार्य इस फर्म को आवंटित नही होकर मैसर्स जे.पी.सी. एण्ड कम्पनी के द्वारा करवाया गया था।

दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेख के अवलोकन उपरान्त कमेटी ने पाया कि समयावृद्धि प्रकरण में 1% शास्ती जिस कारण से आरोपित की गई है, वह उचित नहीं है।

अतः कमेटी ने आरोपित शास्ती निरस्त किये जाने का निर्णय लिया एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, (उत्तर) हनुमानगढ को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण का तदनुसार निस्तारण करें।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (के. एल. जाखड़)<br>मुख्य अभियन्ता,<br>जल संसाधन उत्तर,<br>हनुमानगढ | (एम. आर. डूडी)<br>अति. सचिव एवं<br>मुख्य अभियन्ता,<br>जल संसाधन राज, जयपुर | (लोकेश तिवाड़ी )<br>संयुक्त विधि परामर्शी,<br>प्रतिनिधि विधि विभाग | (अशोक पाठक)<br>संयुक्त शासन सचिव–IV,<br>प्रतिनिधि वित्त विभाग | (शिखर अग्रवाल)<br>प्रमुख शासन सचिव<br>जल संसाधन विभाग<br>राजस्थान, जयपुर। |